राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या–1265/2012/अलवर
2. अपील संख्या–1266/2012/अलवर
3. अपील संख्या–1267/2012/अलवर
4. अपील संख्या–1268/2012/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–द्वितीय, जयपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

मै. कंजारिया सैरमिक्स लि.,
के.एम.स्टोन, भिवाडी, अलवर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 01/06/2017

निर्णय

1. उपर्युक्त चारों अपीलें अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25(1), 18, 61 व 55 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 08.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–द्वितीय, जयपुर द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 19.05.2010 को किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड की जॉच किये जाने पर फ्रेट एवं बीमा राशि की अनियमितता पाई गई, जिसके सन्दर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कर, ब्याज, एवं शास्ति का आरोपण किया, जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धारण आदेश दिनांक	वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7
1265/2012	61/आरवीएटी/2011–12	28.10.2010	2006–07	15,274	7,637	30,548
1266/2012	62/आरवीएटी/2011–12	25.10.2010	2007–08	37,084	13,994	74,168
1267/2012	17/आरवीएटी/2011–12	03.03.2011	2008–09	28,550	8,280	57,100
1268/2012	63/आरवीएटी/2011–12	27.09.2010	2009–10	41,167	5,351	82,334

कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 08.11.2011 द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए आरोपित कर, ब्याज एवं

लगातार.....2

शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपीलें पेश की गयी है।

3. इन चारों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ईकाई द्वारा बेचे गये माल की डिलीवरी क्रेता व्यवसाईयों को एफ.आ.आर. गैलपुर, जिला–अलवर के आधार पर दी जाती है ना कि क्रेताओं के गन्तव्य स्थल तक। रास्ते में माल के टूट–फूट की कोई जिम्मेदारी प्रत्यर्थी की नहीं है तथा प्रत्यर्थी की फैक्ट्री के गोदाम से माल बाहर निकलते ही प्रत्यर्थी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त फ्रेट एवं इन्श्योरेन्श की राशि को प्रत्यर्थी के विक्रय मूल्य का भाग मानकर इस पर आरोपित किया गया कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण अविधिक एंव अनुचित बताते हुए अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बेचे गये माल की डिलीवरी क्रेताओं को एफ.ओ.आर. गैलपुर, जिला अलवर(राजस्थान) के आधार पर दी जाती है ना कि क्रेताओं के गन्तव्य स्थल तक। प्रत्यर्थी द्वारा सभी क्रेताओं से फ्रेट एवं इन्श्योरेन्श की राशि वसूल नहीं की गई है। प्रत्यर्थी के विक्रय बिलों के पीछे अंकित विक्रय की शर्त संख्या–1, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "All prices are for Gailpur, Distt. Alwar(Rajasthan)" तथा बेचे गये माल की जिम्मेदारी के बारे में प्रत्यर्थी के विक्रय बिलों के पीछे अंकित शर्त संख्या–6 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि– Responsibility of the Company ceases after the material leaves Company"s godown(Gailpur, Distt. Awar,(Rajasthan) इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि प्रत्यर्थी द्वारा क्रेताओं को माल का विक्रय एक्स–फैक्ट्री मूल्य के आधार पर किया गया है, भारयुक्त है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस साक्ष्य/प्रमाण के यह मानना कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बेचे गये माल की डिलीवरी एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन के आधार पर क्रेताओं के गन्तव्य स्थल तक दी जाती है, निराधार है। इसके अलावा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त तथ्यों की पुष्टि के सन्दर्भ में अपील के साथ क्रेताओं के प्रमाण पत्रों की छाया प्रतिया भी पेश की गयी है। जिसमें क्रेताओं द्वारा इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि

लगातार.....3

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय बिलों में उनसे केवल माल की कीमत वसूल की गयी है तथा फ्रेट एवं इन्श्योरेन्स की राशि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उनके बिहाफ पर अलग से चार्ज की गई है। रेकार्ड से यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त फ्रेट एवं इन्श्योरेन्स की राशि सभी क्रेताओं से चार्ज नहीं की गई है बल्कि जिस क्रेता द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए प्रत्यर्थी व्यवहारी को कहा गया, उन्ही क्रेताओं से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा फ्रेट एवं इन्श्योरेन्स की राशि माल के विक्रय मूल्य के अलावा अलग से चार्ज की जाकर संबंधित ट्रांसपोर्ट कम्पनी को भुगतान किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलों को स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

8. फलतः अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलो को अस्वीकार किया जाता है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(खेमराज)
अध्यक्ष